

## **प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़, दिनांक 11.03.2025**

### **थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़**

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

अपहरण व दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के दयालगंज बाजार में ग्राम सिंहपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आरोपीगण द्वारा वादी की पुत्री का अपहरण करने के प्रकरण में थाना आसपुर देवसरा पर दिनांक 11.12.2024 को धारा 87 बीएनएस बनाम 02 नामजद अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी आसपुर देवसरा उ०नि० संतोष सिंह के नेतृत्व में उ०नि० अजय कुमार अंचल मय हमराह उ०नि० कृष्णानन्द श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 11.03.2025 को देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 87, 64, 61(2) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र सालिकराम सरोज निवासी ढाढर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के दयालगंज बाजार में ग्राम सिंहपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

साक्ष्य संकलन/विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग उपरोक्त में धारा 64, 61(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सुनील कुमार पुत्र सालिकराम सरोज निवासी ढाढर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० अजय कुमार अंचल मय हमराह उ०नि० कृष्णानन्द श्रीवास्तव थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

### **थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़**

बकरी चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त नवाबगंज पुलिस की गिरफ्त में, चोरी की 04 बकरियाँ बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा० अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र के अंधरीपुर पुलिया के पास से अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्तों की निशांदाही पर चोरी की 04 बकरियां बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दि0-10.03.2025 की रात्रि को थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत दयामउ मजरे अंधरीपुर निवासी वादी के घर के बाहर से आरोपीगण द्वारा 04 बकरियाँ चोरी कर भाग जाने के प्रकरण में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में मु0अ0सं0 38/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम 02 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय के मार्ग दर्शन व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत सिंह द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम/ अंकुश लगाने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में थाना प्रभारी नवाबगंज श्री धीरेन्द्र ठाकुर के नेतृत्व में उ0नि0 वीरपाल सिंह मय हमराह हे0का0 शिशुपाल सिंह व का0 नीरज कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-38/2025 अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों, 01. डब्लू उर्फ सुरेन्द्र पुत्र रामलाल निवासी ग्राम मुरेठी थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ 02.बादल पुत्र रजजन लाल निवासी ग्राम उमरा थाना सलवन जनपद रायबरेली को थानाक्षेत्र के अंधरीपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त की निशांदाही पर चोरी की 04 बकरियां बरामद किया गया ।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई ।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि बीती रात समय करीब 11.30 बजे हम दोनो ने मिलकर ग्राम दयामऊ में दरवाजे से चार बकरी चोरी कर ली थी जो गांव के बाहर खेत में सफेदा (यूके लिपटिस) के घने पेड़ों के बीच में बांध कर रखे हैं । हम लोग बकरियां बेचने के लिये वाहन की तलाश में बैठे थे कि आपने पकड लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01.डब्लू उर्फ सुरेन्द्र पुत्र रामलाल निवासी ग्राम मुरेठी थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।

02.बादल पुत्र रजजन लाल निवासी ग्राम उमरा थाना सलवन जनपद रायबरेली ।

बरामदगी का विवरण-

चोरी का 04 बकरियां (अनुमानित कीमत करीब 21000 रुपये) बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 वीरपाल सिंह मय हमराह हे0का0 शिशुपाल सिंह व का0 नीरज कुमार थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

## **थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़**

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज के उ०नि० विवेक कुमार यादव मय हमराह हे०का० जाहिद खान, कां० गणेश द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु०नं०-1139/2020 व मु०अ०सं०-848ए / 81 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लालगंज से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्त 01. शेर बहादुर पुत्र रामहरख नि०ग्राम रामघाट, अगई, थाना लालगंज, प्रतापगढ़ 02. हरिपाल ओझा पुत्र स्व० रामनरेश ओझा निवासी ग्राम सोहागपुर, पूरे ओझा, थाना लालगंज, प्रतापगढ़ को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01.शेर बहादुर पुत्र रामहरख नि०ग्राम रामघाट, अगई, थाना लालगंज, प्रतापगढ़।

02.हरिपाल ओझा पुत्र स्व० रामनरेश ओझा निवासी ग्राम सोहागपुर, पूरे ओझा, थाना लालगंज, प्रतापगढ़।

पुलिस टीम- उ०नि० विवेक कुमार यादव मय हमराह हे०का० जाहिद खान, कां० गणेश थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

## **थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़**

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना फतनपुर के उ०नि० प्रभांशु कुमार मय हमराह हे०का० राजेश यादव, म०का० गीता शर्मा द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु.अ.स. 164/95 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फतनपुर से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त राधेश्याम तिवारी पुत्र शीतला प्रसाद निवासी धनऊपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राधेश्याम तिवारी पुत्र शीतला प्रसाद निवासी धनऊपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ०नि० प्रभांशु कुमार मय हमराह हे०का० राजेश यादव, म०का० गीता शर्मा थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

## थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़

सोशल मीडिया में फेसबुक आईडी से आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने पर प्रतापगढ़ पुलिस की त्वरित कार्यवाही।

धार्मिक भावना को आहत पहुंचाने व समाज में संप्रवर्तन एवं सौहार्द पर प्रतिकूल असर डालने वाले वायरल वीडियो से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

फेसबुक आईडी से आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने वाले के विरुद्ध की गयी सख्त कार्यवाही

आरोपी को थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत वैशपुर पुल के पास से युवक को किया गिरफ्तार

एसपी डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में थाना मान्धाता में 01 नामजद अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया था

कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले अराजक तत्वों एवं अपराधियों के विरुद्ध जीरो टालरेंस नीति के तहत थाना मान्धाता पुलिस का कड़ा एक्शन।

सोशल मीडिया में एक युवक के द्वारा अपनी फेसबुक आईडी से धार्मिक भावना को आहत पहुंचाने व समाज में संप्रवर्तन एवं सौहार्द पर प्रतिकूल असर डालने वाला आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने के प्रकरण को तत्काल संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में थाना मान्धाता पुलिस द्वारा वायरल वीडियो की जांच की जा रही थी। थाना मान्धाता में अन्तर्गत धारा 196(2), 299 बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना मान्धाता प्रभारी निरीक्षक श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में उ०नि० अनूप यादव मय हमराह का० पारस यादव द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर फेसबुक आईडी से धार्मिक भावना को आहत पहुंचाने व समाज में संप्रवर्तन एवं सौहार्द पर प्रतिकूल असर डालने वाला आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने के प्रकरण से संबंधित अभियुक्त राज पटेल पुत्र दिनेश पटेल निवासी ग्राम पीपरपुर डेमा थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के वैशपुर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० अनूप यादव मय हमराह का० पारस यादव थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

बयान- प्रतापगढ़ पुलिस जनपद वासियों/ नागरिकों एवं सर्वसंबंधित से अपील करती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यू-ट्यूब, व्हाट्सएप ग्रुप अन्य किसी प्लेटफार्म इत्यादि पर धार्मिक, सांप्रदायिक भावनाओं को आहत करने वाली कोई भी फोटो/ वीडियो पोस्ट ना करें। जो भी व्यक्ति अराजकता फैलाकर कानून-व्यवस्था को प्रभावित करेगा या कोशिश करेगा उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। शांत एवं सुरक्षित समाज निर्माण में प्रतापगढ़ पुलिस का सहयोग करें।